झारखण्ड ट्राईबल एम्पावरमेंट एण्ड लाईवलीहुड प्रोजेक्ट (JTELP)

ग्राम विकास कोष संचालन हेतु दिशा निर्देश :–

1. FNGO की मदद से GSPEC की उप समिति (VDF Committee) का गठन किया जाएगा।
2. अनुसूचित जनजाति के गांवों के लिए रू॰ 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र दिया जायेगा और PVTG के गांवों (PVTG की न्यूनतम 70% HH) के लिए रू॰2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये) मात्र दिया जायेगा।
3. GSPEC को ग्राम विकास कोष (Village Development Fund) के सही उपयोग के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगाः–
   - नियमित रूप से GSPEC की बैठक।
   - नियमित एवं उचित हिसाब–किताब और प्रलेखन।
   - परियोजना के अंतर्गत सभी गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए सदस्यों द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण करना।
4. ग्राम सभा से अनुमोदन के उपरांत VDF राशि का उपयोग परियोजना अंतर्गत क्रियान्वित सभी सामुदाय आधारित संरचनाएँ जैसे FSC, तालाब, सिंचाई कुआँ इत्यादि (पशु शेड को छोड़ कर) की मरम्मति परियोजना पूर्ण होने के उपरांत किया जा सकता है।
5. VDF खाते से कोई भी राशि का भुगतान/निकासी ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
6. VDF खातों का लेन–देन एवं खर्चों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटट से वार्षिक (31 मार्च तक के) कराया जाए। ग्राम सभा का समाजिक लेखा परीक्षण (Audit) समिति के द्वारा हर छह महीने में किया जाएगा। अंकेक्षित रिपोर्ट को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
7. VDF समिति द्वारा किसी भी तरह का खर्च/व्यय होने पर उससे संबंधित सभी दस्तावेजों (जैसे बैठक बही, बिल विपत्र (Bill Voucher) इत्यादि) का सही तरीके से रख–रखाव अनिवार्य होगा, क्योंकि अंकेक्षण में इसकी आवश्यकता होगी।

8. VDF राशि का उपयोग व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जा सकता है।
9. VDF राशि का उपयोग ऋण लेन–देन/ Interest कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है।
10. VDF राशि का उपयोग GSPEC सामुहिक रूप से Input के खरीद यथा खेती–बाड़ी हेतु खाद–बीज तथा अन्य सामग्री थोक भाव से खरीद कर कुछ अन्तर राशि (Margin) के साथ गाँव वालों को उपलब्ध करा सकती है। इससे एक तो गुणवत्ता युक्त खाद–बीज/कृषि संबंधी अन्य सामान समय पर उपलब्ध हो जाएगा साथ ही थोक में खरीदने से कम दर पर भी मिल जाएगा। इससे प्राप्त अंतर राशि (Margin Money) से ग्राम विकास कोष (VDF) की पूँजी में भी बढ़ोत्तरी होगी।
11. Input खरीद बिक्री के साथ–साथ तैयार फसल, बनोपज आदि क सामुहिक संग्रहण एवं बिक्री में भी VDF का उपयोग किया जा सकता है। GSPEC इस तरह के Produce/ उपज को खुदरा खरीद कर कुछ दिन रखने के पश्चात् या तुरंत भी (समय एवं मांग को ध्यान में रखते हुए) बेच सकता है। इससे प्राप्त अंतर राशि (Margin Money) VDF की पूँजी बढ़ाने में सहायक होगी।

    उसी तरह VDF का उपयोग सामुहिक खेती–बाड़ी, पशुपालन, बागवानी या अन्य जीविकोपार्जन संबंधी कार्य के लिए तथा Output की बिक्री के लिए किया जा सकता है। जीविकोपार्जन का काम जो गाँव के अधिकतम आबादी को प्रभावित कर रहा है। उदाहरणतः पपीता की खेती।

VDF का उद्देश्य सामुहिक काम को बढ़ावा देते हुए कोष की राशि को बढ़ाना है।

*****

झारखण्ड ट्राईबल एम्पावरमेंट एण्ड लाईवलीहुड प्रोजेक्ट (JTELP)

युवा समूहों के लिए बीज पूँजी के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका

1. युवा समूहों (YG) को मजबूत बनाने की दिशा में संबंधित CF एवं PC द्वारा निरंतर प्रयास के साथ निम्नलिखित आवश्यक शर्तों का पालन कराना अनिवार्य होगा।
    - नियमित रूप से युवा समूह का बैठक।
    - उचित लेखा–जोखा और प्रल्लेखन।
    - सदस्यों द्वारा नियमित रूप से बचत।
    - सदस्यों द्वारा नियमित रूप से आय वृद्धि एवं उप्पादक कार्यों में संलग्न कराना।

2. युवा समूह द्वारा बीज पूँजी का उपयोग करने के लिए आय वृद्धि कार्य (IGA) अथवा गतिविधियों को प्राथमिकता दें।

3. FNGO स्टॉफ के मार्गदर्शन में युवा समूह के सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत समूह के सदस्यों के अनुमोदन पर ग्रेन बैंक, कृशि उपकरण, टेन्ट हाऊस के सामान, मुर्गी पालन, सुकर पालन, कत्तख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन तथा अन्य उपयोगी गतिविधियों हेतु प्रस्ताव तैयार कर DPMU को जमा करेंगे।

4. नुक्कड़ नाटक दल, पारंपरिक नृत्य एवं गीत दल आदि का विकास करना।

5. अपने पांरपरिक खेल आदि का संरक्षण करना।

6. तैयार प्रस्ताव का जाँच DPM एवं DPMU के दल द्वारा करने के उपरांत बीज पूँजी निर्गत करेंगे।

7. राशि निर्गत होने के बाद उसका सही अनुश्रवण एवं लेखा–जोखा संबंधित CRP एवं CF एवं FNGO द्वारा तथा DPMU द्वारा होनी आवश्यक है। साथ ही राशि का सही उपयोग हो रहा है अथवा नहीं इसके अनुश्रवण के लिए भी DPMU & FNGO उत्तरदायी होंगे।

झारखण्ड ट्राईबल एम्पावरमेंट एण्ड लाईवलीहुड प्रोजेक्ट (JTELP)

स्वयं सहायता समूहों के बीज पूँजी के सही उपयोग के लिए मार्गदर्शिका

1. स्वयं सहायता समूहों को बीज पूँजी के सही उपयोग के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
    - नियमित साप्ताहिक बैठक।
    - उचित लेखा–जोखा और प्रल्लेखन।
    - सदस्यों द्वारा नियमित रूप से बचत।
    - आय वृद्धि कार्यों/गतिविधियों एवं व्यक्तिक उपयोग हेतु अन्तर ऋण देने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
    - नियमित ऋण की वापसी नियमित तौर पर हो।
2. यदि किसी भी सदस्या को बीज पूँजी से ऋण की आवश्यकता हो तो उन्हें बैठक के दौरान ऋण लेने के मकसद पर चर्चा करनी होगी। ऋण लेने से पहले समूह के दो तीहाई सदस्यों की सहमति लेने के उपरांत ही ऋण अनुमोदित होगा। इस प्रक्रिया को स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में अंकित करना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह के अनुमोदन के पश्चात् बीज पूँजी से स्वीकृत राशि संबंधित सदस्या को दिया जाएगा।
3. अगर स्वयं सहायता समूह के एक से ज्यादा सदस्य ऋण लेना चाहतें ह तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य आपसी विवेचना करते हुए सर्व सम्मति से जिसे सबसे ज्यादा जरूरत हो उसे ही ऋण उपलब्ध करायें।
4. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आय वृद्धि कार्य (IGA) गतिविधियों के लिए भी बीज पूँजी निर्गत किया किया जाएगा।

क्रमशः.....2

5. FNGO स्टॉफ के मार्गदर्शन में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत समूह के सदस्यों के अनुमोदन पर ग्रेन बैंक, उन्नत सब्जी की खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, टेन्ट हाऊस के सामान, व्यापार तथा अन्य उपयोगी गतिविधियों हेतु प्रस्ताव तैयार कर DPMU को जमा करेंगे।
6. तैयार प्रस्तावों को जाँच कर DPM एवं DPMU का दल बीज पूँजी निर्गत करने का निर्देश देगी।
7. ऋण वापसी की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी।
    - CRP एवं CF द्वारा इन नियमों एवं शर्तों की जानकारी संबंधित SHG को बताना अनिवार्य है ताकि SHG इसका अनुपालन कर सके।
    - ब्याज दरों (अधिकतम 2 प्रतिशत प्रति माह अथवा समूह के द्वारा तय) की भुगतान क्षमता के अनुसार स्वयं सहायता समूह के द्वारा निश्चित की जानी चाहिए, जो SHG के नियम में शामिल होगा।
    - ऋण वापसी का समय (साप्ताहिक या मासिक) पर सहमति स्वयं सहायता समूह के स्तर पर होनी चाहिए।
8. राशि निर्गत होने के बाद उसका सही अनुश्रवण एवं लेखा–जोखा संबंधित CRP, CF एवं समूह के कोशाध्यक्ष द्वारा होनी चाहिए। साथ ही राशि का सही उपयोग हो रहा है अथवा नहीं इसके अनुश्रवण के लिए DPMU & FNGO उत्तरदायी होंगे।
9. बीज पूँजी एवं समूह के लेन–देन का Chartered Accountant के द्वारा प्रति वर्श Audit होना है, जिसका पूर्ण दायित्व DPMU & FNGO का होगा।